उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद, 104-महात्मा गांधी मार्ग पर दिनांक 18-4-87 को हुई उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1987 की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त।

3

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1- श्री जान गुजरान ज़ाहिदी		अध्यक्ष
2- श्री माता प्रसाद		सदस्य
3- श्री राम पाल सिंह		सदस्य
4- श्रीमती उमा त्रिपाठी		सदस्या
5- श्री परमात्मा प्रसाद		सदस्य
6- श्री योगेश बंसल		सदस्य
7- श्री के०पी०सिंह	संयुक्त सचिव (आवास सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
8- श्री पी०के०मिश्र	संयुक्त सचिव (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
9- श्री एन०एस०जौहरी	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
10-श्री शिव कुमार शर्मा	प्रबन्ध निदेशक, जल निगम	सदस्य
11-श्री विश्राम सिंह	संयुक्त निदेशक, (निदेशक, सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो मुख्य आमंत्री के प्रतिनिधि)	सदस्य
12-श्री चन्द्र पाल	आवास आयुक्त	सदस्य
13-श्री वेद प्रकाश शर्मा	अपर आवास आयुक्त	सचिव

क्र०सं०	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय

1- दिनांक 12-3-1987 की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि इस निर्देश के साथ की गई है कि कार्यवाही की अनुपालन आख्या प्रत्येक मद की सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाये एवं गत दो वर्षों से विभिन्न बैठकों के जो अनुपालन लम्बित हैं उनमें क्यों कार्यवाही नहीं हुई इससे भी परिषद को अवगत कराया जाये।

2- श्री परमात्मा प्रसाद सिंह, सदस्य के पद पर विचार।

श्री परमात्मा प्रसाद सिंह परिषद के सदस्य हैं। श्री सिंह ने अध्यक्ष, आवास विकास परिषद को पत्र लिखकर अन्य बातों के साथ आवास आयुक्त पर कुछ व्यक्तिगत आक्षेप लगाये और विचार करने के लिये दबाव डाला। इसमें मुख्य आक्षेप है कि उन्होंने आगरा में भूखण्ड लिया एवं एक से अधिक भूखण्ड लेने के उद्देश्य से स्वयं वित्त पोषित योजना-84 में भी आवंटन कराया। आवास आयुक्त ने स्पष्ट किया कि आगरा में भूखण्ड वर्ष-1977-78 में लिया गया एवं प्रदेशन नियमावली के नियम-4 (4) में बात का स्पष्ट प्राविधान है कि स्वयं वित्त पोषित के अतिरिक्त एक भूखण्ड अथवा भवन लिया जा सकता है। आवास आयुक्त ने स्पष्ट किया कि बचे हुये भवनों का आवंटन आवास आयुक्त नियमानुसार अपने विवेक से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आवास आयुक्त ने स्पष्ट किया कि अभी तक स्वयं वित्त पोषित या अन्य कोई भवन अपने नाम से नहीं आवंटित किया है। आवास आयुक्त के स्पष्ट स्पष्टीकरण से माननीय सदस्यगण संतुष्ट हुये कि उन्हें भी स्वयं वित्त पोषित के अन्तर्गत भवन आवंटित हो सकता है। श्री परमात्मा प्रसाद सिंह ने इन व्यक्तिगत आक्षेपों को वापस ले लिया।

3- सदस्यों ने जानना चाहा कि क्या श्री कामिल किदवाई के मामले में पूर्व कोई अन्य भवन नीलाम किया गया एवं क्या पिछले 10 वर्षों में कार्यालय भवन खाली कराकर अन्य लोगों को भवन दिये गये हैं एवं ऐसे भवनों को किन-किन लोगों को किस किस दर पर किस प्रक्रिया से कब कब किया गया।

इस सम्बन्ध में यह निर्णय हुआ कि तदनुसार सूचना उपलब्ध कराई जावे और श्री कामिल किदवाई की अपील को देखते हुये परिषद के संकल्प दिनांक 22-12-86 व्दारा ही भवन का मूल्यांकन कर उन्हें तदनुसार भवन दे दिया जावे क्योंकि यह निर्णय नीलामी के प्रकरण से बहुत ही पूर्व का है। अतः पूर्व जारी प्रदेशन पत्र ~~तदनुसार किया जाये।~~ तदनुसार संशोधित किया जाये।

4- समस्त विनियमावली के नियम जैसे प्रदेशन विनियम 16(2), 34(3), 40 आदि का परीक्षण करके वांछित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में उक्त विनियमों का परीक्षण करके वांछित प्रस्ताव देने के लिये एक समिति गठित की गई जो निम्न प्रकार है:-

1- श्री परमात्मा प्रसाद सिंह — अध्यक्ष
2- श्री योगेश बंसल — सदस्य
3- श्रीमती उमा त्रिपाठी — सदस्य
4- विधि अधिकारी — सदस्य

आवश्यकतानुसार इस समिति में अन्य लोगों को भी लिया जा सकता है।

5- परिषद के वित्तीय वर्ष-86-87 का पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष-87-88 की अनुमानित आय व्यय का प्रस्तुतीकरण।

प्रस्तावित बजट पर विचार विमर्श किया गया एवं निम्न निर्णय लिये गये:-

(1) बर्क प्लान अनुमोदित किया गया परन्तु यह निर्देश दिये गये कि 150 करोड़ रुपये से अधिक व्यय तब तक न किये जाये जब तक बजट अन्तिम रूप से अनुमोदित न हो जाये। 150 करोड़ रुपये तक के व्यय की स्पष्ट स्वीकृति प्रदान की गई।

(2) दिनांक 18-5-87 को प्रातः 10-30 बजे बजट के लिये पुनः एक विशेष बैठक बुलाकर बजट प्रस्तुत किया जाये एवं एजेन्डा में अन्य कोई आइटम न रखा जाये।

(3) बजट में प्रस्तावित धन प्राप्ति के स्रोतों का मोबिलाईजेशन करने के लिये युद्ध स्तर पर पूरे पूरे प्रयास किये जायें।

(4) भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का स्पष्ट रूप से समायोजित किया जाये।

(5) शासन के वित्त विभाग को ऋण उपलब्ध कराने हेतु तुरन्त प्रस्ताव भेजा जाये।

(6) नार्दन लीजिंग कम्पनी कानपुर से 10 करोड़ रुपये के ऋण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई परन्तु इस बिन्दुओं को स्पष्ट करने के लिये कि इस निजी संस्था से ऋण लेने में शासन को कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्ताव शासन के अनुमोदनार्थ भेजा जाये।

(7) अन्य संस्थाओं से भी ऋण लिया जाये परन्तु 15 प्रतिशत से अधिक ब्याज न दिये जाने वाले ऋण ही लिये जायें।

जो अन्य विषय आज परिषद में समयाभाव के कारण प्रस्तुत नहीं हो सके एवं कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण विषय भी नहीं आ पाये उनके निस्तारण हेतु दिनांक 16-5-87 को परिषद की बैठक पुनः बुलाई जाये।

[illegible]

पुष्टि की गयी

[illegible]

अध्यक्ष